— Liberalised trade policy and reduction in tariffs; specially in basic raw materials so as to reduce input costs.

— Improved supply management through augmentation of supplies under PDS and through import of essential commodities

— Tight monetary policy to control inflationary expecta'tions.

फिल्म कलाकारों की तरफ आयकर की बकाया राशि

149. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंबई के फिल्म उद्योग से संबंधित उन विभिन्न व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर 30-6-93 की स्थिति के अनुसार आयकर की राशि बकाया है;

(ख) इन व्यक्तियों ने कब से अपने आयकर की अदायगी नहीं की है ;

(ग) आयकर की वसूली के लिए सरकार ने क्या-क्या ठोस कदम उठाए हैं और उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को फिल्म में काम करने के लिए प्रत्येक अभिनेता को भुगतान की जा रही धनराशि की जानकारी है और क्या यह सच है कि अधिकांश भुगतान काले धन के रूप में किया जाता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में बंबई के फिल्म उद्योग संबंधित उन व्यक्तियों के बारे में नवीनतम सूचना दिनांक 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं, जिनकी तरफ आयकर की राशि बकाया है। इसके अनुसार, बंबई क्षेत्र के फिल्म उद्योग के 1 लाख रु० से अधिक की बकाया राशि रखने वाले व्यक्तियों के 144 मामलों की सूचना दी गई थी, जिनमें 1859.47 लाख रु० की कुल मांग अंतग्रस्त थी। इतने कम समय में बकाया मांग रखने वाले व्यक्तियों के नामों को तथा उसके ब्यौरों को दे पाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा तथा प्रयास करने होंगे, जो प्राप्तव्य उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) अनेक मामलों में ये मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं और अपीली प्राधिकारियों से इन अपीलों को वरीयता के आधार पर निपटाए जाने का अनुरोध किया गया हैं। उचित मामलों में अदायगी किस्तों में किए जाने की अनुमति दी गई है। इनमें से कुछ मामलों में बैंक खातों/किराए/चित्त के अधिकारों की कुर्की कर ली गई है अथवा वसूली के बारे में कर वसूली अधिकारियों को सूचित कर दिया गया हैं, जिन्हें चूककर्ताओं की परिसंपत्ति को कुर्क करके बेचने की शक्ति प्राप्त है।

(घ) जब कभी भी फिल्मी कलाकारों द्वारा अघोषित प्राप्तियों का कोई मामला आयकर विभाग की जानकारी में आता हैं तो उनके संबंध में तलाशी, सर्वेक्षण के रूप में सूचना तथा जांच-पड़तालों के रूप में कार्यवाहियां की जाती हैं। काले धन की उत्पत्ति की रोकथाम करने के प्रयोजनार्थ आयकर अधिनियम की धारा 44-एए के अन्तर्गत सांविधिक उपबन्ध बनाए गए हैं, जिनके तहत कारोबार चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित किए गए खातों को बनाना तथा उनका रख-रखाव करना अपेक्षित होता हैं और इनकी जांच-पड़ताल/संवीक्षा कर-निर्धारण की कार्यवाहियों के दौरान की जाती हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फिल्मी कलाकारों, कैमरा मैनों, निर्देशकों आदि को धारा 44-एए के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के कर निर्धारणों के लिए विशिष्टीकृत फिल्म सर्किलों का सृजन किया गया हैं ताकि इस प्रकार के मामलों में कर अपवंचन का पता लगाने के कार्य को बेहतर ढंग से निष्पादित किया जा सके।